न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 /04 निगरानी — R. 1200-PBR/2004

1– हरिविलास पुत्र किशन चन्द
2– माता दीन पुत्र केदार ब्राम्हण
3– महेन्द्र पुत्र केदार ब्राम्हण
4– रामभजन पुत्र गंगोली जोहे
5– लच्छी पुत्र गिरवर
6– सांमत पुत्र हरमोहन
7– गोपाल पुत्र हरमोहन

निवासी गण ग्राम उंघाड तहसील कैलारस जिला मुरैना

----आवेदकगण

बनाम

1– सोहन लाल पुत्र बहादुर
2– बीरेन्द्र पुत्र गिरवर लाल
3– वासुदेव प्रसाद पुत्र रघुपति
4– जगदीश सिंह पुत्र जगन्ननाथ
5– फैलू राम पुत्र मुल्ला
6– विसराम पुत्र मंगलिया
7– शंकर पुत्र बुद्धा
8– रामेश्वर पुत्र भौरन
9– सुन्दर लाल पुत्र श्री चन्द
10– मंगलिया पुत्र श्री चन्द
11– गजाधर पुत्र हरगोविन्द
12– अमर लाल पुत्र बन्दी

13- प्रहलाद पुत्र नन्दलाल
14- दातीराम पुत्र भागीरथ
15- रमेश पुत्र भुल्ला ब्राह्मण
16- शिवराम पुत्र किशन लाल
17- रामचरन पुत्र बलवन्त
18- हरीराम पुत्र काशीराम
19- जंसवत पुत्र बुद्धी
20- रामलाल पुत्र लाल किशन
21- रामनिवास पुत्र सामलिया
22- राजाराम पुत्र भगवन्त
23- माखन पुत्र राजाराम
24- प्रभू पुत्र स्व॰श्री गणपत
25- मंगलिया पुत्र भुल्ला
26- राजधर पुत्र मुर्ली
27- हरविलास पुत्र ब्यालाल
28- इन्दरिया बेवा पत्नी भुल्ला
29- श्रीनिवास पुत्र स्व॰श्री जीवन लाल
30- रामवीर पुत्र स्व॰श्री स्तीराम

समस्त निवासी ग्राम उचाड तहसील कैलारस जिला मुरैना (म0प्र0)

31- म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला मुरैना (म0प्र0)

---- अनावेदकगण॰

निस्तारनी आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता -1959 विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 8॰9॰04 न्यायालय बन्दोवस्त आयुक्त म0प्र0 ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 11/97-98/ अपील एंव न्यायालय कलेक्टर जिला मुरैना के प्रकरण क्रमांक 12/96-97 /अपील में पारित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1200–पीबीआर/2004 जिला–मुरैना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित। उनके द्वारा बन्दोबस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के प्र0क्र0 11/97–98/अपील में पारित आदेश दिनांक 08.09.04 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उचांड, तहसील कैलारस में स्थित प्रश्नाधीन भूमि जिसका सर्वे क्र0 107, 108, 458, 459, 468, एवं 460 के बन्दोबस्त दौरानी नवीन नंबर 672, 303, 661, 645, 693 निर्मित किये गये है । उपरोक्त विवादित नम्बरों को काबिल काश्त घोषित किये जाने हेतु ग्राम पंचायत सेमई के प्रस्ताव एवं ठहराव नं0 7 दिनांक 30.03.86 को उक्त विवादित सर्वे नम्बरों के काबिल काश्त घोषित किये जानें एवं पट्टा दिये जाने हेतु आवेदकगणों द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी जौरा के न्यायालय में आवेदन पेश की गई थी। सहायक बन्दोबस्त अधिकारी जौरा ने प्रकरण क्रमांक 12/93–94/अ–59 दर्ज कर प्रकरण में विधिवत जांच कराकर दिनांक 08.04.94 को इश्तहार जारी किया और निस्तार पत्रक तैयार किये जाने हेतु दिनांक 26.04.94 को ग्राम सभा में प्रकरण को रखा । दिनांक 26.04.94	

को ग्राम सभा में कोई आपत्ति न होने के कारण ग्राम सभा में उपस्थित सभी लोगों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किये गये, तद्परांत निस्तार पत्रक को अन्तिम रूप दिया जाकर विवादित भू–भागों को मिन रकबों को काबिल काश्त में परिवर्तित करने का आदेश दिनांक 26.04.94 को पारित किया । उक्त 'आदेश दिनांक 26.04.94 के विरूद्ध अनावेदकगणों ने बन्दोबस्त अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्र0क्र0 12/अपील/96–97 में दर्ज होकर आदेश दिनांक 25. 11.97 द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी का आलोच्य आदेश निरस्त किया गया तथा विवादित भूमि पूर्ववत निस्तार चरनोई रखने के आदेश दिये गये । इस आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा न्यायालय बन्दोबस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष अपील पेश की गई, जो प्र0क्र0 11/97–98/अपील माल में दर्ज होकर बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.04 को अपील अस्वीकार किया गया । बन्दोबस्त आक्युत के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.09.04 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 08.09.04 विधि विधान के विपरीत व क्षेत्राधिकार बाह्य होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य एवं सुसंगत दस्तावेजों का अवलोकन, अध्ययन एवं विवेचना किये

बगैर जो निष्कर्ष निकाले है वह उचित नहीं है । आवेदक के अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी बताया है कि बन्दोबस्त आयुक्त के समक्ष बहस के दौरान यह भी मुद्दा उठाया गया था कि, अनावेदकों द्वारा सिर्फ भूमि को काबल काश्त घोषित करने के आदेश को चुनौती दी गई है जो कि प्रशासकीय आदेश की परिभाषा में आता है । उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि आवेदकगण को किया गया व्यवस्थापन आदेश दिनांक 30.08.94 आज दिनांक तक यथावत कायम चला आ रहा है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जावे ।

4/ अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित । उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारी जौरा ने अपने आदेश दिनांक 26.04.94 में यह उल्लेख किया है कि ग्रामवासियों की मांग पर वादग्रस्त भूमि को चरनोई से का0का0 घोषित की जाती है एवं निस्तार पत्र को अंतिम रूप दिया जाता है । प्रकरण में ग्रामवासियों पंचायत ग्रामसभा का कोई आवेदन ठहराव प्रस्ताव नहीं है फिर प्रश्न यह है कि किस ग्रामवासी की मांग पर चरनोई भूमि को निस्तार पत्र रूढ़ि पत्रक का हवाला देकर का0का किया गया स्पष्ट नहीं है । विज्ञप्ति दिनांक 08.04.94 को जारी की

गई, उसी दिन कैसे ग्राम की चौपाल पर चस्पा हो गई एवे दिनांक 26.04.94 जो बाद में पृथम स्याही से लिखा गया है को 15 दिवस की अवधि पूरी मानकर आदेश पारित कर दिया गया । विज्ञप्ति किसके द्वारा तामील कराई गई कोई उल्लेख नहीं है । आदेश पत्रिका में भ बादग्रस्त सर्वे नम्बर जिन्हें चरनोई से का0का0 किया है आदेश पत्रिका में कुछ ग्रामवासियों के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद में उनकी प्रवष्टि पृथक स्याही से की गई है।

6/ मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–235 में वे विषय जिनके लिये निस्तार पत्रक में उपबन्ध किये गये है का उल्लेख है । इसमें का0का0 अर्थात् काबिल काश्त का कहीं भी उल्लेख नहीं है । तब ऐसे में सहायक बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा निस्तार पत्रक एवं रूढ़ि पत्रक को अंतिम रूप देते समय चरनोई भूमि को का0का0 करने की कार्यवाही उचित नहीं । संहिता की धारा–234 के अधीन निस्तार पत्रक की तैयारी होने के बाद उपधारा (2) के अधीन निस्तार पत्रक को अंतिम रूप दिये जाने के पश्चात भी उसकी पृविष्टियों में उपांतरण किया जा सकात है । यह उपांतरण उपखण्ड अधिकारी स्वप्रेरण से कर सकता है या ग्राम सभा, और जहां ग्राम सभा न हो एक चौथई वयस्क निवासियों के आवेदन पर कर सकात है । इस उपधारा के अधीन किसी एक ग्रामवासी को निस्तार पत्रक में उपांतरण का आवेदन करने अधिकार नहीं है।

7/ इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत ग्राम पंचातयत वाकंली वि0 रिखचंद 1986 आर0एन0 136 एवं याकूब

खां वि0 मध्यप्रदेश राज्य 1995 आर0एन0 437 प्रचलित है । निस्तार पत्रक में उपांतरण करने के पूर्व नियत प्रक्रिया अपनाना आवश्यक है । यदि भूमि से वर्गीकरण में परिवर्तन करना होतो धारा 234(3) के उपबंध लागू होंगे । यहां यह भी ध्यातव्य है कि निस्तार पत्रक में वे ही उपबंध होंगे जिनका वर्णन धारा 235 में दिया है। का0का0 का निस्तार पत्रक की तैयारी में कोई उपबंध नहीं है । यदि किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिये सुरक्षित रखी गई भूमि को अन्य उपांतरित करना आवश्यक है तब वह धारा 237(2) के अधीन कलेक्टर की अनुमति लेगा । रामदया वि0 स्टेट 1970 रा0नि0 101(स्व0प्रेर0) में स्पष्ट दिया है कि निस्तार पत्रक में संशोधन की कार्यवाही स्वाप्रेरणा पर या ग्राम सभा के प्रस्ताव या ग्रामवासियों में एक चौथाई वयस्कों के आवेदन पर हो सकती है । यदि स्वप्रेरणा पर कार्यवाही करना है तो स्पष्ट कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है । किन्तु इस प्रकरण में ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं है । ऑडरशीट में ग्राम पंचायत को नोटिस जाना तो लिखा है किन्तु कोई नोटिस जारी होना प्रकरण में शामिल नहीं है । दूसरा विकल्प है एक चौथाई वयस्क सदस्यों का आवेदन है, परन्तु प्रकरण में ऐसा कोई आवेदन नस्थी नहीं है । मात्र कुछ लोगों के नोटिस पर हस्ताक्षर करा लेना या अंगूठा लगवा लेना एक चौथाई वयस्क सदस्यों का आवेदन नहीं माना जा सकता । तीसरा विकल्प है स्वप्रेरणा का । स्वप्रेरणा के प्रकरण के रूप में इस मामले को चालये जाने के कोई भी चिन्ह उपलब्ध नहीं है । न आदेशिका में और न ही अंतिम आदेश में ऐसा कुछ कहा गया है कि यह

प्रकरण स्वप्रेरणा शक्तियों के अन्तर्गत लिया गया है । प्रकरण में विज्ञप्ति का प्रकाशन संहिता की अनुसूची प्रथम नियम 17 के तहत होनी चाहिये, जो यहां नहीं की गई । प्रकरण में आवेदक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि पर सिविल न्यायालय का आदेश दिनांक 20.10.97 उसके पक्ष में है । किन्तु सिविल न्यायालय ने कोई स्वत्व की घोषणा नहीं की है ।

8/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में बन्दोबस्त अधिकारी मुरैना का आलोच्य आदेश दिनांक 25.11.94 एवं बन्दोबस्त आयुक्त, ग्वालियर का आदेश दिनांक 08.09.04 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से स्थिर रखा जाता है और आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है ।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य